



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
26.09.19	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सुरसिंह पुरती, पिता- स्व0 कोलय पुरती, ग्राम- तोलगोए साई, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तोलगोए साई, थाना- 123, खाता नं0- 30, प्लॉट नं0-969, रक्बा- 0.10 एकड़ भूमि क्रेता अजय सिंह जारिका, पिता- कुदराय जारिका, ग्राम-लोटा, थाना- मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदि भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 528, दिनांक- 30.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता अजय सिंह जारिका, पिता- कुदराय जारिका, ग्राम- लोटा, थाना- मुफसिल, के पास 2,32,000.00/- (दो लाख बत्तीस हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुज्ञा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुज्ञा के आलोक में आवेदक सुरसिंह पुरती, पिता- स्व0 कोलय पुरती, ग्राम- तोलगोए साई, क्रेता अजय सिंह जारिका, पिता- कुदराय जारिका, ग्राम- लोटा, थाना- मुफसिल के पास 2,32,000.00/- (दो लाख बत्तीस हजार) रुपये में मौजा- तोलगोए साई, थाना- 123, खाता नं0- 30, प्लॉट नं0- 969, रक्बा- 0.10 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	